(101)

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषदकी दिनाँक 28 जून, 1997 को सम्पन्न हुई वर्ष 1997 की तृतीय तथा परिषद की §166वीं§ बैठक की कार्यवृत्त

दिनाँक 28.6.97 को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः-

1.	सर्व श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री जी0गणेश प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	डा0 अनिल कुमार गुप्ता आवास आयुक्त	सदस्य
4.	श्री वीरेश कुमार गुप्ता विशेष सचिव§आवास§ प्रतिनिधि-सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	श्री के0के0गोविला, मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम	सदस्य
6.	श्री एम0पी0अनेजा वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवंग्राम्य नियोजक	सदस्य
7.	श्री बी0बी0गर्ग, डिप्टी डाइरेक्टर, प्रतिनिधि-निदेशक, सी0बी0आर0आई0 रुडकी	सदस्य
8.	श्री एस0के0वर्मा मुख्य अभियन्ता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमन्त्री के रूप मेंः-

1.	श्री ए0के0पचौरी, मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2.	श्री हामिद मुस्तफा, वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0आवासएवं विकास परिषद	सदस्य

5/7/97

----2

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गयेः-

मद सं0	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 165वी बैठक दिनॉक31.3.97 की कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
2.	परिषद की 165वी बैठक दिनॉक 31.3.97 की अनुपालन आख्या।	अनुमोदित।
3.	योजना संख्या-2 बरेली में स्वयं वित्त पोषित परियोजना-96 बी के अर्न्तगत 53/127 प्रकार के 8 नग फिनिश्ड भवनों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
4.	योजना संख्या-1 कानपुर मेंस्वयं वित्त पोषित परियोजना -96 ए के अर्न्तगत 53/127सेमीफिनिश्ड,59/181 सेमीफिनिश्ड, 76/121 सेमीफिनिश्ड एवं -//108 फिनिश्ड प्रकार के क्रमशः 2,2,1 व 1 कुल 6 नग भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
5.	योजना संख्या-1 किच्छा में स्वयं वित्त पोषित परियोजना96 बी के अर्न्तगत 53/127 प्रकार के 26फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
6.	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 ए के अर्न्तगत पूर्व स्वीकृत 63/162 प्रकार के 18 नग सेमीफिनिश्ड भवनों में से 8 भवनों का फिनिश्ड भवनों के रूप में निर्मित किये जाने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।

1	2	3
7.	योजना संख्या-2 फेज-1 कानुपर में स्थित परिषद के 4 कार्यालयों को योजना के फेज-2 में स्थानान्तरित करने हेतु कार्यालय प्रयोग हेतु प्रस्तावित 68/142 प्रकार के 15 नग सेमीफिनिश्ड भवनों में आवश्यक फिनिशिंग कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	अनुमोदित।
8.	योजना संख्या-1 कानपुर में किराया पद्दति पर आवंटित 43/120 प्रकार के 16 भवनों में अतिरिक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
9.	सिकन्दरा योजना, आगरा मथुरा मुख्य§ मार्ग से जोड़ने वाली मास्टरप्लान §एप्रोच§ रोड एवं जेल रोड की मरम्मत का कार्य।	अनुमोदित।
10.	बढ़पुर योजना संख्या-1 फतेहगढ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 ए के अन्तर्गत 63/162 प्रकार के 5 नग सेमीफिनिश्ड भवनों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
11.	योजना संख्या -1 मुजफ्फर नगर में स्वयं वित्त पोषित योजना 96ए के अन्तर्गत 64/137 प्रकार के 3 नग सेमीफिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
12.	ट्रान्स यमुना योजना द्वितीय चरण, आगरा में राइजिंग मेन डालने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।	अनुमोदित।

1	2	3
13.	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-16 में निर्मित 64/137 प्रकार के 20 सेमीफिनिश्ड भवनों में 1 भवन §भवन सं016/1410§को फिनिश्ड भवन के रूप में निर्मित करने के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनमोदित।।
14.	नेहरू नगर योजना संख्या-1 देहरादून के आंशिक क्षेत्र में बाह्य विघुतीकरण कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
15.	जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ में1 नग बोरिंगका निर्माण, 1 नग स्टैण्ड ड्राई पम्प की व्यवस्था सहित पुराने पम्पिंग प्लान आदि के संस्थापन के सम्बन्ध में।-	अनुमोदित।
16.	बसुन्धरा योजना संख्या-3 गाजियाबाद के सेक्टर-2 बी व 2 सी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना 96 के अर्न्तगत पूर्व स्वीकृत 62/113 प्रकार के य2 नग फिनिश्ड एवं 25 नग सेमीफिनिश्ड भवनों के स्थानपर 3 नग फिनिश्ड एवं 24 नग सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण के प्रस्ताव के फलस्वरूप 1 भवन में फिनिशिंग कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
17.	योजना संख्या-1 अल्मोडा§सनराइज कालोनी§ में क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वाल एवं एप्रोच रोड के पुनर्निमाण के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

5/7/97

---5

1	2	3
18.	योजना संख्या-2 कानपुर के सेक्टर-5 सी के अवशेष सम्पत्तियों को निस्तारित करने के लिए विद्युतीकरण एवं जलापूर्ति का काककर्य तथा अगले 6 माह तक सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक स्वीकृति।	अनुमोदित।
19.	परिषद की इन्दु विहार योजना,प्रतापगढ की सेवायें नगर पालिका,प्रतापगढ हस्तान्तरित किये जानेके सम्बन्ध में?	अनुमोदित।
20.	रिंग रोड योजना संख्या -1मुजफ्फर नगर में मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के फिनिश्ड भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
21.	उ0प्र0आवासएवं विकासपरिषद के कार्यकलापों की माह मई 1997-98 तक की अध्यावधिक प्रगति रिपोर्ट।	अनुमोदित।
22.	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-8§प्रथम फेज§ सहारनपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित।
23.	लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना ,गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	अनुमोदित।
24.	उ0प्र0आवास एवं विकासपरिषद की तेलीबाग योजना संख्या-2,लखनऊ की भूमि सीधी बात-चीत के माध्यम से क्रय करने के सम्बन्ध में।	तेलीबाग योजना संख्या-2 लखनऊ की भूमि सीधी बात-चीत के माध्यम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के बारे में आवासआयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 27.6.97 को परिषद के कार्य कलापों की समीक्षा माननीय आवास मन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई थी। इस समीक्षा बैठक में माननीय अध्यक्ष,आवास एवं विकास परिषद,श्री अतुल कुमार गुप्ता सचिव आवास,श्री वीरेश कुमार विशेष सचिव,

1	2	3
		आवास, श्रीएस0के0वर्मा,मुख्य अभियन्ता,उ0प्र0आवासएवं विकास परिषद,श्रीए0के0पचौरी,मुख्य वास्तुविद् नियोजक,उ0प्र0आवासएवं विकास परिषद एवं श्री बी0के0श्रीवास्तव, सचिव,आवासएवं विकास परिषद उपस्थित थे।माननीय मन्त्री जी ने इस समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया थाकि चूँकि 14 साल से भूमि अर्जन की कार्यवाही लम्बित है और काश्तकारों का शोषण हो रहा है। अतः सीधी बात-चीत के माध्यम से भूमि क्रय करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।
		आवास आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि माननीय आवास मन्त्री जीके इसी समीक्षा बैठक में यह भी तथ्य आया था कि सीधी बात-चीत के माध्यम से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या यी0ओ0-185§2§/9-आ-3-93§2§ बी-93 दिनॉक16•8•93 के क्रम मेंसमझौते से भूमि लिए जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिनॉक 31•5•97 को प्रेषित किया गया है और तीन अनुस्मारक देने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा अभी भी इसमें कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी। आवास आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गयाकि जिलाधिकारी, परिषद द्वारा तेलीबाग योजना संख्या-2 के 550 बीघे के काश्तकारों से औसतन रु09=00प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि क्रय किये जानेके प्रस्ताव पर सहमत थे तथा जिलाधिकारी का यह भी मत था कि जो समझौता परिषद द्वारा किया गया है, वह उचित है तथा उपरोक्त वर्णित शासनादेश के क्रम मेंमण्डलायुक्त को प्रस्ताव अग्रसारित कर देंगे परन्तु जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही न करने के कारण अग्रिम प्रक्रिया अवरूद्ध है।
		आवास आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परिषद अधिनियम-1965 की धारा-56 के अन्तर्गत परिषद समझौते के माध्यम से भूमि क्रय कर सकती है।
		माननीय आवास मन्त्री जी ने दिनॉक 27•6•97 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में यह निर्णय लियाथा कि परिषद समझौते के माध्यम से तत्काल इस भूमि के क्रय करने की कार्यवाही करे। इसी क्रम में परिषद के समक्षवर्तमान प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर परिषद द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि तेलीबाग योजना संख्या-2 के उन 550 बीघे भूमि के सम्बन्ध में औसतन रु0 9=00 प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि क्रय किये जानेके प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति देने हेतु जिलाधिकारी को अन्तिम रूप से अनुस्मारक प्रेषित करदिया जाय तथा यदि 10 दिनों तक जिलाधिकारी से पत्र प्राप्त नहीं होता है तो मद संख्या-24 पर प्रस्तुत परिषद के लिए व्यख्यात्मक टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में बनायी

-------7

1	2	3
		समिति तेलीबाग योजना संख्या-2 के काश्तकारों से सीधी बातचीत के माध्यम से प्रस्तावित समझौते के अनुरूप भूमि क्रय करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।
25-	इन्दिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैजाबाद रोड लखनऊ की धारा-31§1§ का पुनरीक्षित प्रस्ताव।	अनुमोदित।
26-	कमला नगर योजना आगरा स्थित उच्च आय वर्ग भवन संख्या डी-3/7 स्टाफ क्वाटर आवंटन के सम्बन्ध में।	यदि श्री मोहर सिंह अलीगढ़ योजना संख्या-7 में आवंटित भूखण्ड संख्या-18 का आवंटन स्वेच्छा से नियमानुसार निरस्त करा देते हैं तो कमलानगर योजना आगरा में स्थित स्टाफ क्वाटर उच्च आय वर्ग भवन संख्या डी-3/7 स्टाफ क्वाटर से अनारक्षित करते हुए तथा नीलामी से निस्तारण संबंधी नियम को शिथिल करते हुए उन्हें अपंजीकृत क्रेता के रूप में वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर नगद क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
27-	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्री महेशचन्द्र व्यास को आवंटित भवन संख्या-4/276 पर लगे दण्ड ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।
28-	राजाजीपुरम् योजना लखनऊ के सेक्टर-11 में उपलब्ध डिग्री कालेज की भूमि को राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की नियमानुसार प्रचलित आवासीय दर की 50 प्रतिशत धनराशि, मिट्टी भराई पर होने वाले व्यय रु0 40·00 लाख कम करते हुए उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर ली जाय।
29-	परिषद की अवधपुरी योजना फैजाबाद में श्री बालेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को प्रदिष्ट अल्प आय वर्ग भवन संख्या-439 पर देय ब्याज की माफी के सम्बन्ध में।	अतिरिक्त ब्याज रु0 2,921·00 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।

5/7/97

1	2	3
30-	परिषद की शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, सेक्टर-3 मेरठ में स्थित भूखण्ड संख्या 1383/3 पर निर्माण हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के सम्बन्ध में।	इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की यदि 6 माह के अन्दर भवन निर्माण नहीं किया गया तो भूखण्ड को नियमानुसार परिषद के पक्ष में रिज्यूम करने की कार्यवाही की जायेगी।
31-	श्री गिरीश कुमार अवस्थी को परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या 9/804 के विरूद्ध दण्डब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	3 प्रतिशत दण्ड ब्याज रु0 1,664·35 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
32-	एकलव्य विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड गाजियाबाद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में भवन आवंटन के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त व्दारा अवगत कराया गया कि दिनांक 27·6·97 को परिषद के कार्यकलापों की समीक्षा करते समय यह प्रकरण भी मा0 आवास मन्त्री जी, सचिव-आवास, तथा मा0 अध्यक्ष महोदय के समक्ष लाया आया था। आवास आयुक्त व्दारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित समिति गाजियाबाद में अपने सदस्यों हेतु भूखण्ड चाहती है परन्तु परिषद के दिनांक 28·2·97 को सम्पन्न बैठक में सहकारी आवास समितियों को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर परिषद व्दारा यह निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद में परिषद की एक ही योजना है। जो भूमि नियमानुसार समिति को देय है वह मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवंटित की जा चुकी है। कुछ आवास समिति पिछले कुछ वर्षो से भूखण्ड आवंटन हेतु माँग कर रही हैं। वर्तमान में गाजियाबाद में माँग भी अधिक है। इन सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त परिषद व्दारा यह निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद की आवासीय योजना में सहकारी आवास समितियों को भूमि ग्रुप हाऊसिंग हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत देने पर विचार किया जाय।

5/7/97

....9/-

1	2	3
		तदानुसार एकलव्य विहार सहकारी आवास समिति को ग्रुप हाऊसिंग योजना में भूमि का आवंटन किया गया है। सोसाइटी में आवंटन होने पर यह प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें ग्रुप हाऊसिंग के स्थान पर भूखण्ड ही दिया जाय। अतः प्रकरण पुनः परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विचारोपरान्त परिषद ने निर्णय लिया कि चुंकि समिति की मॉग भूखण्डों की ही है और समिति ग्रुप हाऊसिंग के भूखण्ड लेने के इच्छुक नहीं हैं अतः समिति से वार्ता करके पुनीविचारोपरान्त प्रकरण परिषद की आगमी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
33-	उ0प्र0 जल निगम देहरादून के विरूद्ध अवशेष ब्याज के धनराशि के सम्बन्ध में।	दो सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के प्रकरण में सार्वजनिक उद्यम विभाग को संदर्भित करके निर्णय प्राप्त किये जाने से संबंधित शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
34-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम-1979 की धारा-34(3) में आंशिक संशोधन।	सचिव आवास समिति एवं आवास आयुक्त की समिति को आवास आयुक्त को प्रस्तावित अधिकार दिये जाने संबंधी प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

5/7/97

...10/-

2	3
35. मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या-1 मेरठ के विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
36. योजना संख्या-1 कानपुर मेंशासन ऋण परियोजना के अन्तर्गत 200 अल्प आय वर्ग (29/60) प्रकार के भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
37. नेहरू नगर योजना देहरादून मे 53/127 प्रकार के 99 मध्यम आय वर्ग (सेमीफिनिश्ड) भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
38. नयी आवास नीति के अन्तर्गत आश्रयहीन परिवारों के लिए रू0 5=00, रू0 10=00 व रू015=00 प्रतिदिन कीआवाससीय योजना का प्रस्ताव।	अनुमोदित।
39. श्री शिव नरायन लाल श्रीवास्तव मोतीनगर लखनऊ को जनता ऋणयोजना में स्वीकृत ऋण रू0 72,000=00 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।
40. श्री रामेन्द्र त्रिपाठी को जनता ऋण योजना में स्वीकृत ऋण रू080,000=00 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	दण्ड ब्याज रू0 6,701=60 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
41. श्री सुरेश गोपाल महेन्द्र , राजाजीपुरम लखनऊ को जनता ऋणरू01,81,000=00पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	रू0 5,000=00दण्ड ब्याज माफी का प्रस्ताव स्वीकृत।
42. खण्डीय स्टोर तत्कालीन विभागीय निर्माण इकाई-चतुर्थलखनऊ से दिनाँक 11.1.81 को 100 बोरी सीमेन्ट की अवैध बिक्री के प्रकरण में श्री सी0के0थापर सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध शो-काज नोटिस के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
43. माननीय आवास एवं नगर विकास मन्त्री एवं आवास सचिव के प्रयोगार्थ दो एसार टेलीफोन उपकरण क्रय करने, उनके कनेक्सन लेने तथा उन परकी गयी कालों एवं रेन्ट के भुगतान करने तथा आवास आयुक्त,अपर आवास आयुक्त,मुख्य अभियन्ता व मुख्य वास्तुविद नियोजक,लखनऊ के निजी उपकरणों द्वारा की गयी कालों	प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

5/7/97

....11/-

1	2	3
	एवं रेन्ट का भुगतान परिषद द्वारा किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
44.	श्री वकील-उर रहमान ,अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-33 अलीगढ के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध मे	शासनादेश संख्या 361/पी आर सी/चौ-1-96 दिनाँक 31 मई1996के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया-
45.	स्व0 श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियन्ताके सुपुत्र श्री प्रशासन्त कुमार को मृतक आश्रित के अर्न्तगत क्षतिपूर्ति आधार पर परिषद सेवा मेंनियुक्त करने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
46.	श्री वी0एन0शर्मा अधिशासी अभियन्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत
47.	श्री एन0यू0विलग्रामी का अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
48.	परिषद अवर अभियन्ताओं को रू0 2200-4000 का प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सुसंगत शासनादेश के अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृत किये जानेहेतु प्रकरण प्रशासकीय विभाग को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
49.	रिंग रोड योजना संख्या-1मुजफ्फर नगर में दुर्बल आय वर्ग18/40 प्रकार के 50 नग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
50.	रिंग रोड योजना संख्या-1 मुजफ्फर नगर में अल्प आय वर्ग29/60 प्रकार के 30 नग भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
51.	श्रीमती पुष्पा शुक्ला के पक्ष में परिषद द्वारा कब्जा प्राप्त 2 विस्वा भूमि पर कराये गये निर्माण को विकास शुल्क लेकर समायोजित करने सम्बन्धी तत्कालीन अध्यक्ष §म0§ द्वारा अनुमोदित निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।	श्रीमती पुष्पा शुक्ला के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीहै। श्रीमती बिमला बाजपेयी एवं श्री राम दत्त मिश्रा के प्रकरण में परिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीहै।

	2	3
	52. सिकन्दरा योजना आगरा में सीवेरा सहकारी आवाससमिति की भूमि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
	53. मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4§भाग-2§मुरादाबाद की भूमि सीधी बात -चीत के माध्यम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
	54. फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 में श्री छदामी लाल जैन§श्री छदामी लाल जैन ट्रष्ट§ की अर्जित भूमि खसरा सं0 565 क्षेत्रफल 1-2-0 बीघा में से अवशेष रिक्त भूमि 650 वर्ग मीटर को ट्रष्ट श्री छदामी लाल जैन के नाम आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	असुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित करते हुए आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
	55. आवास एवं विकास परिषद की तालकटोरा रोड स्ट्रीट योजना ,लखनऊ मे ग्राम जफरपुर उर्फ रुकुन्दीनपुर ,तहसील एव परगना लखनऊ में खसरा सं0 187 के कुल रक्बा 23-16-0 में से 14-15-10 को विकास/असुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
	56. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित बेति [illegible] §पूर्वी§ योजना, गोरखपुर में स्थित आराजी संख्या 236 रक्बा 0.176 एकड भूमि को सदस्य विधान परिषद श्री गणेश शंकर पाण्डेय, श्री भीष्म शंकर त्रिपाठी,श्रीमती चन्द्र प्रभा सिंह के पक्ष में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
	57. परिषद की मझोला योजना संख्या-4§भाग-1§ मुरादाबाद में समाविष्ट मैसर्सश्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल्स की 2.90 एकड भूमि के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया कि वह श्री राम स्ट्रा बोर्ड के मालिकों को बुलाकर तथा उनको सुनकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करें। निस्तारण करते समय यह भी परीक्षण करवा लें कि श्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल्स के बगल में राजेन्द्र फ्लोर मिल की भूमि शासन द्वारा अर्जन मुक्त किये जाने में समानता होने के कारण श्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल्स की भूमि क्यों नही अर्जन मुक्त की जा सकती है।

9/7/97

----13/-

2	3
मंझोला योजना संख्या-4(भाग-2) मुरादाबाद में समाविष्ट लेवर सहकारी आवास समिति लिमिटेड मुरादाबाद की भूमि के सम्बन्ध में।	आवास सचिव एवं आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
59- श्री ऊदल सिंह आवंटी अल्प आय वर्ग भवन संख्या 160 राधिका विहार योजना मथुरा के विरूद्ध ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
60- परिषद की राधिका विहार योजना मथुरा में श्री किशनचन्द को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 588 के विरूद्ध देय ब्याज माफ करने के संबंध में।	स्वीकृत।
61- सेण्ट्रल एकाडमी एजूकेशन सोसाइटी को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-9 में शैक्षिक प्रयोग हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
62- परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ में श्रीमती अफसर जहाँ को प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 5/65 पर देय दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	अतिरिक्त ब्याज रू0 3,424·25 माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
63- राजाजीपुरम् योजना लखनऊ में अल्प आय वर्ग भवन संख्या 221 के विरूद्ध दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत।
64- श्री वी0एन0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय वृत्त मेरठ को स्टाफ क्वाटर मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-सी-69 आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
65- इन्दिरा नगर विस्तार योजना(द्वितीय) लखनऊ के अन्तर्गत दीन दयाल पुरम् में आश्रयहीन परिवारों के लिये टाइप-बी(15/25) प्रकार के 1000 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति करने के संबंध में।	स्वीकृत।
66- स्वयं वित्त पोषित योजना एवं डिपाजिट कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव आवास आयुक्त स्तर से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	डिपाजिट कार्यों के संबंध में शासन/संबंधित संस्थाओं द्वारा निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को आधार मानकर निर्माण/विकास कार्य सम्पादित कराये जाय। परिषद के समक्ष डिपाजिट कार्यों की सूची बनाकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाय।

5/9/97

...14/-

1	2	3
67.	वेतियाहाता पूर्वी योजना गोरखपुर में स्वयं वित्त पोषित योजनाके अन्तर्गत आवंटित भवन संख्या 13 के विरुद्ध दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।	दण्ड ब्याज रू0 4,400=00 तथा विविध शुल्क समय सीमा में जमा न करने के कारण आरोपित रू0 7466=00 कुल रू0 11,866=00को माफ करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
68.	प्रेप्स बिला योजना , नैनीताल में स्वयं वित्त पोषित योजना 94ए केसम्बन्ध में ।	स्वयं वित्त पोषित योजना 94 ए के अन्तर्गत पंजीकरण को निरस्त करते हुए पंजीकरण धनराशि वापस करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
69.	परिषद के 21 कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में आउट आफ टर्न" भवन अग्रिम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत। भविष्य में सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों को भवन निर्माण के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 428/चौ-1-उ0वे0रि0/88-41/85 दिनांक 31 जुलाई 1989 के अनुसार कार्यवाही करने पर विचार करने के निर्देश दिये गये।
70.	परिषद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति वेतन मान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासकीय विभाग को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
71.	परिषद के कार्य क्षेत्र एवं बढे हुए कार्य कलापों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं सुनियोजित क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-2 ,अधीक्षण अभियन्ता, अर्धशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं के पदों को सृजन व उन पर प्रोन्नति।	सम्पूर्ण प्रकरण पर संहत प्रस्ताव बनाकर तथा इस प्रस्ताव में वित्त से सम्बन्धित अधिकारो के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
72.	वाराणसी जोन का सृजन।	अनुमोदित ।

...15/-

1	2	3
73.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मदः-	
§1§	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में समाविष्ट ग्राम प्रहलादगढ़ी एवं अर्थला/कनपुर में माननीय न्यायालय से प्रभावित 16-16-2-0 बीघी भूमि के सम्बन्ध में।	न्यायालय में प्रकरण के लम्बित रहने के कारण विधि परामर्श लेकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
§2§	परिषद व्दारा संचालित योजनाओं में व्यवसायिक सम्पत्ति व निरस्तीकरण के पश्चात पुनर्जीवन के संबंध में।	स्वीकृत
§3§	परिषद के विधि परामर्शदाता को परिषद बैठकों में विशेष आमन्त्री के रूप में भाग लेने के संबंध में।	स्वीकृत

पुष्टि की गयी

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष

प्रमुख सचिव, आवास की अध्यक्षता में गठित उप समिति की बैठक दिनांक ३.३.९७ को
कार्यवृत्त दिनांक ३.३.९७ को उप समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

१-	श्री ए०पी० सिंह प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन, आवास विभाग।	अध्यक्ष
२-	श्री शेखर अग्रवाल, सचिव, उ०प्र०शासन, वित्त विभाग।	सदस्य
३-	श्रीमती सुरजीत कौर सन्धु आवास आयुक्त	सदस्य

क्र०सं०	उप समिति द्वारा विचार करने वाले मदों की संख्या	निर्णय
१-	२८	निर्देशित किया गया कि इसका विस्तृत परीक्षण करके पुनः इसे कमेटी के समक्ष रखा जाय।
२-	२९	निर्देशित किया गया कि इसका विस्तृत परीक्षण करके इसको पुनः कमेटी के समक्ष रखा जाय।
३-	३३	विचारोपरान्त दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया। देय मूल धनराशि पर साधारण ब्याज जल निगम विभाग से वसूल कर लिया जाय।
४-	३४	विचारोपरान्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
५-	६०	प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डानवास्को स्कूल को १.४८ एकड़ भूमि ५० प्रतिशत छूट की दर से परिषद नियमानुसार जो स्कूल के लिएअनुमन्य है, के अनुसार छूट देते हुए भूमि स्कूल के लिए छोड़ दी जाय।
६-	६३	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इसमें शासनादेश जो हुए हैं उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय।

...२/-

१	२	३
७-	६४	स्वीकृत किया गया।
८-	६५	निर्णय लिया गया कि यह ज्ञात कर लिया जाय कि सार्वजनिक ब्यूरो ने उसमें क्या कार्यवाही की है इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तब उसके बाद परिषद के समक्ष रखा जाय।
९-	६६	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
१०-	६७	विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
११-	६८	विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।
१२-	६९	विचरोपरान्त अस्वीकृत किया गया।
१३-	७०	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया कि शासनादेश के व्दारा इसमें स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। अतः इस भूमि का विकास शुल्क लेकर छोड़ना उचित होगा। अतः वर्तमान दर विकास शुल्क लेकर छोड़ दी जाय।